

है। तथापि, प्रत्येक परियोजनाओं के लिए संविदाओं पर बातचीत और अंतिम रूप देने का काम संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की प्रति गारंटी वाले मामलों के सिवाय भारत सरकार परियोजना प्रवर्तकों के साथ सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

**Allotment of Land to Cooperative Group Housing Societies by GNA**

2490. SHRI RAJ NATH SINGH:  
SHRIMATI MALTI  
SHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Sector 36 of the Greater Noida Authority has been earmarked for allotment to Cooperative Group Housing Societies; and

(b) if so, by when land is proposed to be allotted to the Sixteen Cooperative Societies with whom Memoranda of Understanding were signed by the GNA around three years ago?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) As reported by the Greater Noida Industrial Development Authority, allotment to members of Co-operative Housing Societies had been made in Sector-36 of Greater Noida Authority.

(b) Greater Noida Authority (GNA) has reported that it had entered into MOUs with 18 cooperative societies for taking over the land of these societies in Greater NOIDA's notified area and allotment of developed plots to the members of these societies in residential area of the Authority. The land of the Authority has not yet been transferred to the members of any society, though allotments have been made to their members in accordance with the MOUs.

On reviewing the matter, the GNA has found that the legal transfer of the title over the land from the societies would

not be possible as some of the societies may have acquired land in excess of 12.50 acres, which is not legally permissible due to existing ceiling laws. Accordingly, the Authority has issued show-cause notices to these societies for declaring the MOUs void on account of their inability to legally transfer the title of the land.

The possession of the plots may be given only when the land of the society is legally transferred in the name of Greater Noida Authority and the members pay the full developmental charges.

**विदेशी और निजी विद्युत कंपनियों द्वारा कार्य शुरू न किया जाना**

2491. श्री नागधणि:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन बहुत-सी विदेशी और निजी कंपनियों ने जिन्हें कार्य करने की स्वीकृति मिल चुकी है, अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कंपनी वार क्या कारण है, और

(ग) विद्युत उत्पादन बढ़ाने और बिजली की मांग को पूरा करने की दृष्टि से इस मामले में क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) भारतीय अथवा विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य और केन्द्रीय अधिकारियों से अनेक स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी होती हैं। कंपनी को भारतीय वित्तीय संस्थानों/विदेशी बैंकों आदि से वित्त प्रेषण भी सुनिश्चित करने होते हैं। यह समय लगने वाली प्रक्रिया है। के.वि.प्रा. से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त 19 निजी विद्युत परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएँ, विवरण के अनुसार, स्वीकृतियों, करार को अंतिम रूप देने और वित्त संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने के अभाव के कारण कार्य आरंभ करने में असमर्थ रही हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) सरकार समय-समय पर निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं की प्रगति संबंधी मॉनीटरिंग करती रही है और आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को प्राप्त करने के